राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

शशि भूषण कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य –सह–
कार्यपालक निदेशक

आदेश सं०:SHSB/GA/HR/2098/2016/...........

दिनांक : ..../07/2017

–: आदेश :–

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन सं०–07/16 {पी०आर०सं० 4938 (नि.नि.)16–17} के आलोक में आदेश ज्ञापांक 5988 दिनांक 15.12.2016 एवं आदेश ज्ञापांक 8239 दिनांक 23.03.2017 के तहत नियोजित अभ्यर्थियों के द्वारा निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने के कारण बची हुई रिक्ति के विरूद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सदर अस्पतालों में **विशेषज्ञ चिकित्सकों–ENT** के संविदागत पद पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ–9 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित जिला के सदर अस्पताल में पदस्थापित किया जाता है:–

क्र. सं.	पंजीयन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पता	कोटि	गृह जिला	पदस्थापित जिला	मानदेय/प्रतिमाह
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	2607029	Dr Md Arshad Imam, MS	10.06.1977	Qr. No. D/35, Amit Nagar, Gewal Bigha, Gaya, Bihar- 823001	UR	Gaya	**Nawada**	1,00,000/-
2.	2607014	Dr Akhil Sareen, MS	06.09.1983	Q.No. 1043, Sector-6/A, Bokaro Steel City Jharkhand-827006	UR	Bokaro (JH)	**Bhagalpur**	1,00,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:–

i. दिनांक 10.08.2017 तक उपरोक्त स्तंभ–8 में अपने नाम के सामने अंकित जिला के सदर अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

ii. योगदान के पश्चात् सभी नवचयनित अभ्यर्थी एकरारनामा करने के लिए, स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 14.08.2017 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

iii. नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD/DNB उपाधि का Bihar Medical Council में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करे एवं मूल निबंधन प्रमाण–पत्र दिखावें अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

iv. यदि किसी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा सरकारी सेवा में हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उनका नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा, जिसमें प्रारंभ से 6 (छः) माह परिवीक्षा (Probation) अवधि होगी। नवनियोजित अभ्यर्थियों के

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।

vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vii. आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

ix. उक्त विषेशज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन ENT के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 9 में अंकित एकमुस्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान जिलास्तर से किया जाएगा।

3. सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, सदर अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अचूक रूप से मानव संसाधन कोषांग के **E-Mail ID: shsbhrcell@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–

(शशि भूषण कुमार)

*ज्ञापांक SHSB/GA/HR/2098/2016/*2106 *पटना, दिनांकः* 20 */07/2017*

प्रतिलिपिः प्रधानसचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर निदेशक–वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक-NHM/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी–MH, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट *www.statehealthsocietybihar.org* पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

19.7.2017

सचिव, स्वास्थ्य
–सह–
कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार
दूरभाषः 0612-2290340, 2281545, फैक्सः 2290322,
वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org